भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441

Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030 FAX- 07423-220077/220099 e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)5/Adm/Weighing scale/2019- Dated : 08.03.2019

:: निविदा ::

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों नीमच, मन्दसौर, जावरा, गरोठ पर माह अप्रैल 2019 के प्रथम सप्ताह से लगभग 20 दिनों या कम के लिए अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें अफीम के तौल कार्य में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोनिक बैलेंस मशीनों के रख–रखाव हेतु निविदाएं आंमत्रित की जाती है। जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 4 प्लेटफार्म बैंलेंस तथा 3 प्रेसीजन बैंलेंस का रखरखाव करना होगा, जिनकी संख्या घटाई व बढाई भी जा सकती है। बैंलेंसो का विवरण निम्न है :–

S.No.	Name of equipments	Specifications
1	Precision electronic balance	Capacity - 120 grams Accuracy - 1 miligram
2	Precision electronic balance (Make Contech)	Capacity - 120 grams Accuracy - 10 miligram
3	Plax TP Electronic Weighing Scale PL size 500X500 mm with Printer	Capacity - 40 Kgs. Accuracy - 10 grams.
4	Platform Balance (Make Contech)	Capacity - 40 Kgs. Accuracy - 10 grams.

नियम एवं शर्ते

1. सभी बैलेंस मय प्रिन्टर बैलेंस विभिन्न संख्या में कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, नीमच –I/II/III, मन्दसौर–I/II/III, जावरा–I/II एवं गरोठ खण्ड में रखे है, जिन्हे निविदादाता जांच कर मरम्मत करेगा। इस कार्य हेतु निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय में सुबह 09:30 बजे से 18:00 बजे तक जा सकते है।
2. समस्त बैलेंस तथा प्रिन्टरो की मरम्मत, रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बैलेंस एवं प्रिन्टर की मरम्मत में लगने वाले पार्टस भी निविदादाता द्वारा ही लगाए जाएगें। समस्त बैलेंसो मय प्रिन्टर को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) नियमित चलाने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी ।
3. निविदादाता को प्रति बैलेंस के रख–रखाव मय पार्टस एवं सभी उपकरण संसाधनो को सम्मिलित करते हुए देनी होगी, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु बैलेंस की निविदा" अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (tax) का विवरण अलग से देना होगा।
4. तौल कार्य के दौरान प्रत्येक तौल केन्द्र पर निविदादाता को दो प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें, जो बैलेंस का रख–रखाव कर सके एवं प्रिन्ट निकाल सकें। प्रशिक्षित कर्मचारी को देय दर निविदा में अलग से बताई जाए।
5. सभी बैलेंस का सत्यापन सर्टिफिकेट राज्य तौल विभाग से दिनांक 22.03.2019 तक कराकर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देना होगा, जिनका भुगतान राज्य तौल विभाग के मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. लिफाफा बन्द निविदा दिनांक 14.03.2019 को 11:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा उसी दिन दिनांक 14.03.2019 को 16:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निरन्तर..............2............

7. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रू. 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
8. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
9. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
10. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

प्रमोद
08.3.19

उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

08/3/19

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)